न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 30/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
लुम्बाराम गोदपुत्र हेमाराम, जाति गुर्जर, निवासी पावड़ो की ढाणी रास, तहसील जैतारण जिला पाली राज0		1. बुधा पुत्र गोकल 2. भोमा पुत्र गोकल 3. अमरा पुत्र बचना 4. नैना पुत्र बचना 5. घासी पुत्र बचना सभी जातियान गुर्जर, निवासीगण पावड़ो की ढाणी रास,तहसील जैतारण, जिला पाली राज0 6. दयालराम पुत्र नैना, जाति गुर्जर, निवासी केसरपुरा, तहसील जैतारण 7. जिमनी पत्नी नैना फौत के कायम मुकाम :- 7/1 राजी पुत्री नैना पत्नी भोमाराम, जाति गुर्जर, निवासी केसरपुरा हाल निवासी खेड़ा, तहसील जैतारण, जिला पाली, राजस्थान। 7/2 श्रवणी पुत्री नैना, पत्नी किसनाराम, जाति गुर्जर, निवासी केसरपुरा हाल निवासी ग्राम नागेलाव, तहसील पींसागन, जिला अजमेर, राजस्थान। 7/3 चन्द्री पुत्री नैना पत्नी मानाराम, जाति गुर्जर, निवासी केसरपुरा हाल निवासी छापर(पालीयावास), तहसील जैतारण, जिला पाली, राजस्थान। 8. सावतसिंह पुत्र फौजसिंह 9. दिलीपसिंह पुत्र नरपतसिंह 11. प्रहलादसिंह पुत्र नरपतसिंह सभी जातियान राजपुत, निवासीगण रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज0 12. संपत पुत्र हेमा 13. मोहन पुत्र हेमा सभी जातियान नाई, निवासीगण रास, तहसील जैतारण, जिला पाली, राज0 14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण, तहसील जैतारण, जिला पाली, राजस्थान।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.15/02/2017

उपस्थितः. 1. श्री भाकरसिंह, अधिवक्ता, वादीगण।

2. श्री महेन्द्र कुमार प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 29/01/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि ग्राम रास–1, पटवार हल्का रास–1, तहसील जैतारण, जिला पाली मे खसरा नम्बर 1385 रकबा 06–02 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 279/6 रकबा 22–03 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 279/9 रकबा 23–00 बीघा किस्म बारानी दोयम कि खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। जिसे इस वाद पत्र मे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया है, उक्त भूमि की वर्तमान जमाबंदी वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। वाद पत्र के पद संख्या एक मे वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1से 13 की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 1से 13 अपने अपने हक एवं हिस्सानुसार काबिज होकर शांति पूर्वक बरोकटोक मुतालिक काश्त कार्य करत चले आ रहे है। खसरा नम्बर 279/9 की कृषि भूमि मे संयुक्त खातेदार काश्तकार के रूप मे पतासी पत्नी हेमा अंकित है जो फौत है। स्व. पतासी के उतराधिकारी व विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 व 13 है जो स्व. पतासी के सगे पुत्र है जो राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। वादी के दतक पिता हेमाराम के जायन्दा पुत्र, पुत्री नहीं होने से वादी के दतक पिता हेमाराम जी ने अपने जीवनकाल मे अपनी समाज की रिति रिवाज एवं सामाजिक स्तर से वादी को बचपन मे ही गोद ले लिया था। वादी के पिता हेमाराम द्वारा वादी को गोद लिया उस समय वादी के प्राकृतिक माता पिता ने वादी को अपनी स्वेच्छा से हेमाराम के गोद दे दिया और समाज के गणमान्य व्यक्तिगण की मौजूदगी मे वादी के दतक पिता हेमाराम ने वादी को अपनी गोद मे बिठाकर रस्म भी अदा कर दी थी। वादी को हेमारामजी के द्वारा गोद लिये जाने के पश्चात वादी बचपन से ही अपने पिता हेमाराम की देखरेख एवं संरक्षण मे बड़ा हुआ तथा वादी का लालन पालन व शिक्षा दीक्षा व विवाह इत्यादि भी वादी के दतक पिता हेमाराम के द्वारा ही किये गये थे। राशन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि रेकर्ड मे वादी का नाम लुम्बाराम पुत्र हेमाराम दर्ज है। इससे भी वादी हेमाराम का गोद पुत्र होना साबित है। उक्त दस्तावेजात की फोटो प्रति वाद पत्र के साथ पेश है। वादी के पिता अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति थे जो कानून की जानकारी कम रखते थे तथा वादी के प्राकृतिक माता पिता व दतक पिता हेमाराम ने आपस मे कभी विधिक रूप से गोदनामा करवाने की आवश्यकता भी महसूस नही की क्योकि वादी के प्राकृतिक पिता व दतक पिता आपस मे सगे भाई थे इस कारण वादी को गोद लिये जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज/पंजीकृत गोदनामा इत्यादि नही करवाया। वादी के दतक पिता एवं माता की मृत्यु पर धार्मिक एवं सामाजिक संस्कार का निर्वहन भी वादी ने ही किया था तथा मृत्युभोज, गंगाप्रसादी इत्यादि भी वादी द्वारा ही किया गया था तथा स्व. हेमाराम व उसकी पत्नी के वृद्धावस्था के समय वादी ने ही सेवा चाकरी एवं देखरेख की थी। उक्त वर्णित कृषि भूमि मे वादी के पिता हेमाराम अपने जीवन काल मे अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज खातेदार काश्तकार थे उनकी मृत्यु के पश्चात अब वादी उक्त भूमि पर काबिज खातेदार काश्तकार है और बरोकटोक उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी के पिता हेमाराम की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे वादी अपने नाम का नामान्तरण दर्ज करवाने पटवार कार्यालय में उपस्थित हुआ तो संबंधित हल्का पटवारी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

द्वारा वादी के नाम का नामान्तरण दर्ज करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि आप हेमाराम के गोद पुत्र हो इसलिए आपके पास कोई पंजीकृत दस्तावेज गोदनामा इत्यादि नहीं है इसलिए आपका उक्त म्यूटेशन मैं दर्ज नहीं कर सकता। इसलिए अब आप उक्त म्यूटेशन के लिए कोर्ट से आदेश करवा कर होकर आ जाओ तब आपका यह म्यूटेशन दर्ज किया जायेगा। वादी के पिता हेमाराम के देहान्त हो जाने के पश्चात उक्त खसरान की कृषि भूमि का वादी बतौर मालिक एवं खातेदार काश्तकार है। जिसके राजस्व रेकर्ड मे हेमाराम के विधिक उतराधिकारी के रूप मे अपने नाम की घोषणा करवाने एवं राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम दर्ज करवाने का विधिक रूप से अधिकारी है। प्रस्तुत वाद मे प्रतिवादी संख्या 14 राजस्थान सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनी अवधि का नोटिस दिया जाना न्यायोचित है किन्तु वाद की परिस्थितियां इस प्रकार से उत्पन्न हो चुकी है कि कानूनी अवधि तक इंतजार किया जाने से वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा। इस हेतु इलग से 80(02) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 25/01/2017 को बमुकाम रास में उत्पन्न हुआजब वादी संबंधित हल्का पटवारी के पास उपस्थित होकर उक्त खसरान की भूमि मे स्व. हेमाराम के नाम की कृषि भूमियों मे अपने नाम से नामान्तरण दर्ज करवाने का निवेदन किया एवं उसके बाद दिन प्रतिदिन वाद कारण उत्पन्न हो रखा है। उपरोक्त कारणों से वादी के हक मे प्रथम दृष्टया केस बेखुबी साबित है। उपरोक्त कारणों से वादी के हक मे घोषणात्मक आदेश नही फरमाया जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति कारित हो जायेगी।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जिसे सा0मि0 किया गया। प्रतिवादी संख्या 06 व 13 बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की ओर से ईकबालिया जवाब दावा पेश किया, सामिल मिसल हैं। वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादीगण के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किया, सा0मि0 हैं। वकील वादी ने बहस में जाहिर किया कि वादी हेमाराम का गोद पुत्र हैं, वादी ने ही हेमाराम की सेवा चाकरी की व मृत्यु पश्चात् सभी सामाजिक कार्यकम किया। इसलिये हेमाराम के हिस्से की भूमि में वादी को दतक पुत्र होने से खतेदार काश्तकार घोषित किया जाने का आदेश फरमावें।

बहस समायत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात, ईकबालिया जवाब दावे एवं साक्ष्य के शपथ पत्र आदि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी ने हेमाराम के गोद होने से सम्बद्ध रजिस्टर्ड दस्तावेज पेश नही किये हैं। लिहाजा वादी अपना वाद सिद्ध करने में विफल रहने से वादी का वाद खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद हेमाराम के गोद होने से सम्बद्ध रजिस्टर्ड दस्तावेज पेश नही करने अथार्त वाद सिद्ध करने में विफल रहने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/01/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner